

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 3056
गुरुवार, दिनांक 04 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हुई क्षमता

3056. श्रीमती नुसरत जहां: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सौर विद्युत, जल विद्युत और पवन विद्युत जैसी विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपनी-अपनी क्षमताओं का राज्य और स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने नया भारत @ 75 रिपोर्ट 2019 हेतु नीति आयोग की रणनीति के अनुसरण में 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यह देखते हुए कि नवीकरणीय उद्योग का कम से कम अस्सी प्रतिशत आयात चीन से होता है, इस तरह के उद्योग में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

- (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2022-23 (जून, 2022 तक) देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि (बड़ी पन बिजली सहित) के राज्य-वार और स्रोत-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं
- (ख) दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 160.92 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, 74.76 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 23.14 गीगावाट क्षमता बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।
- (ग) अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के स्वदेशी निर्माणों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- सौर ऊर्जा:
- (i) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स)।
- (ii) उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों के उत्पादन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।
- (iii) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी खरीद में 'मेक इन इंडिया' को प्राथमिकता।
- (iv) सीपीएसयू फेज-II, पीएम कुसुम, सौर रूफटॉप फेज-II इत्यादि जैसी योजनाओं के तहत घरेलू सामग्री आवश्यकता।
- (v) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा-शुल्क लगाना।
- पवन ऊर्जा:
- (vi) सरकार ने मॉडलों और निर्माताओं की एक संशोधित सूची बनाई है और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केवल सूची में दिए गए निर्माताओं द्वारा बनाए गए उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाना है। यह भी अनिवार्य किया गया है कि हब और नैसेल असेंबली/निर्माण सुविधा भारत में होनी चाहिए। 70 प्रतिशत से ज्यादा पवन उपकरण का निर्माण भारत में किया जाता है।

“नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हुई क्षमता” के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.08.2022 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3056 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2019-20 से 2022-23 (जून, 2022 तक) के दौरान देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि (बड़ी पन बिजली सहित) का राज्य-वार और स्रोत-वार ब्यौरा

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2022 तक) के दौरान स्रोत-वार और राज्य-वार उपलब्धियाँ (मेगवाट में)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पन विद्युत	पवन विद्युत	बायो विद्युत	सौर विद्युत	बड़ी पन बिजली
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	6.20	42.45	1216.61	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2.00	0.00	0.00	1.65	600.00
3	असम	0.00	0.00	2.00	112.47	0.00
4	बिहार	0.00	0.00	3.82	31.36	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	44.17	105.38	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	0.34	17.50	0.00
7	गुजरात	28.09	3346.35	14.23	5328.48	0.00
8	हरियाणा	0.00	0.00	47.91	708.09	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	93.50	0.00	2.00	50.64	391.00
10	जम्मू और कश्मीर	5.29	0.00	0.00	19.63	0.00
11	झारखंड	0.00	0.00	0.00	39.27	0.00
12	कर्नाटक	26.00	487.25	92.34	1477.16	0.00
13	केरल	44.50	10.00	1.55	380.86	0.00
14	मध्य प्रदेश	3.80	0.00	8.19	855.34	0.00
15	महाराष्ट्र	5.51	218.70	75.62	1104.84	0.00
16	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00
17	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00
19	नागालैंड	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00
20	ओडिशा	51.01	0.00	0.00	36.55	0.00
21	पंजाब	2.55	0.00	157.85	199.26	0.00
22	राजस्थान	0.00	196.10	0.00	11090.67	0.00
23	सिक्किम	3.00	0.00	0.00	2.81	113.00
24	तमिलनाडु	0.00	897.47	22.18	3072.08	0.00
25	तेलंगाना	0.00	0.00	38.73	1020.69	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00
27	उत्तर प्रदेश	24.00	0.00	24.66	1197.13	0.00
28	उत्तराखंड	4.50	0.00	0.31	256.46	219.00
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	1.36	87.50	0.00
30	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	21.33	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	26.54	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.00	7.00	82.77	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
35	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	32.21	0.00
	कुल	294.75	5162.07	586.71	28608.54	1323